न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05/2022

बउनवान

1. मुनीर अली पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन तहसील किशनगंज
2. चांद अली पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. जानकीबाई पत्नि स्व0 बाबूलाल जाति सहरिया निवासी सेवनी, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2. देवलाल पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति सहरिया निवासी सेवनी, तहसील किशनगंज, जिला बारां,
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–22 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**

2. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1व 2)**

आदेश दिनांक– 18.05.2022

1– प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद के यहां वाके ग्राम रेलावन तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नंबर 382/5 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा आराजी के लिए 14 (4) भू आवंटन नियम में कार्यवाही प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखी है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत दर्ज की गई है तथा उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा गलत रूप से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जबकि उक्त आराजीयात पूर्व में ही अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 बाबूलाल सहरिया का आवंटन न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 19.01.2001 को निरस्त किया गया तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 25.05.2005 को न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय को यथावत रखा। बावजूद इसके अप्रार्थीगण द्वारा क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार विहिन कार्यवाही प्र[illegible] गलत रूप से स्थगन जारी करवा लिया तथा अब स्थगन के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की सुनवाई नही की जा रही है तथा उक्त [illegible] जाति से सहरिया होने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण प्रार्थी[illegible] में परेशानियां पैदा [illegible] रहे हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की सुनवाई नही की जा रही है। अप्रार्थीगण [illegible] राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध है तथा उनका न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, के पीठासीन अधिकारी के साथ उठना बैठना है जो प्रार्थीगण को धमकियां दे रहे हैं कि तुम इस जमीन के पैसे ले लो और इस पर कब्जा छोड़ो। अतः उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:11 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, शाहाबाद से स्थानांतरित कर प्रकरण की सुनवाई श्रीमान् द्वारा किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उपस्थित अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद से प्राप्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के प्रकरण 14(4) की जैरकार कार्यवाही में प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश की बहस के दौरान अवगत हुआ कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के भूखण्ड काटकर विक्रय किया जा रहा है। मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो इस बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। लॉकडाउन होने के कारण न्यायालय की सभी पत्रावलियों में नियमित रूप से सुनवाई नहीं हो सकी, जिसमें यह पत्रावली भी शामिल है। लॉकडाउन के बाद पत्रावली नियमित रूप से चल रही है। यदि इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के राजनैतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध हैं जिनका न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद के पीठासीन अधिकारी के साथ उठना बैठना है। अप्रार्थीगण के पति व पिता को आवंटित विवादित आराजीयात का आवंटन माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश को यथावत रखा है। अप्रार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद में जैरकार कार्यवाही में उक्त तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में प्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से स्थगन आदेश जारी करवा लिया है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद द्वारा प्रार्थीगण की सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद के प्रकरण सं. 02/2021 कार्यवाही 14(4) भू आवंटन अधिनियम बउनवा[illegible]बाई वगैरा बनाम मुनीरअली को अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि कोविड–19 लॉकडाउन के कारण समस्त न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित रहने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नही हुई अब उक्त पत्रावली की नियमित रूप से न्यायालय में सुनवाई हो रही है। पीठासीन अधिकारी, महोदय का इस प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है उन पर प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि कोविड–19 लॉकडाउन के कारण समस्त न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित रहने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नही हुई अब उक्त पत्रावली की नियमित रूप से न्यायालय में सुनवाई हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:11 IST
Reason: SelfAttested